

<p>Sangram Prasad CE(Comml.)</p>	 <p>UPRVUNL</p>	<p>U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 7th floor, Shakti Bhawan Extn Lucknow-226001 Tel-0522-2288056 Fax- 0522-2287544</p>
--	--	---

पत्रांक 458/उनिलि/मु0अ0(वा0)/एल0एम0वी0-10/

दिनांक: 19 सितम्बर 2013

मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II)
अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज तापीय परियोजना
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
सोनभद्र/कानपुर/झाँसी/अलीगढ़

विषय:- मा0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.05.2013 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए घोषित रेट शिड्यूल LMV-10 दिनांक 10.06.2013 लागू करने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 31.05.2013 को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए टैरिफ आदेश के अर्न्तगत निर्गत कर दिया गया है। टैरिफ आदेश के अर्न्तगत निर्गत रेट शिड्यूल LMV-10 को लागू करने के लिए पुनरीक्षित दरें दिनांक 10.06.2013 से प्रभावी होगी।

उक्त के तारतम्य में उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 129/एच0सी0/यू0पी0पी0सी0एल0 /पॉच -1974-1204सी/2013 दिनांक 10.06.2013 की प्रति संलग्नों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराते हुऐ पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें। अधिसूचना एवं सम्बन्धित LMV-10 रेट शिड्यूल की प्रति उ0प्र0रा0वि0उत्पादन निगम लि0की वेबसाइट WWW.UPRVUNL.Org पर उपलब्ध है।

(संग्राम प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)

पत्रांक 458/उनिलि/मु0अ0(वा0)/एल0एम0वी0-10/तददिनांक: 19.9.2013.

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 7वॉ तल शक्ति भवन लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 7वॉ तल शक्ति भवन लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक (पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/केस्को) विद्युत वितरण निगम लि0।

(संग्राम प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)



पत्रांक 458 / उनिलि / मु0अ0(वा0) / एल0एम0वी0-10 / तददिनांक: 19.9.2013.

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (कार्मिक / तकनीकी / वित्त) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) उ0नि0लि0, 8वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर- I / II) तापीय परिचालन / मानव संसाधन / ईंधन / वाणिज्य / आर0एण्ड एम0 / पी0पी0एम0एम0 / जानपद / कारपोरेट स्ट्रेटजी / प्रगति, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (प्रगति) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ (WWW.UPRVUNL.Org) पर अपलोड करने हेतु।



(संग्राम प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)

- Ryanodi

2



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 129 / एच0सी0 / यूपीपीसीएल / पांच.1974.1204.सी / 2013

दिनांक : जून 10, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम-1999 की धारा-24 एवं विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 61 एवं 62 के अधीन शक्तियों एवं इस सम्बन्ध में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर पूर्व पारित समस्त आदेशों/अधिसूचनाओं द्वारा अनुदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 यह अधिसूचित करता है कि :-

- (क) एतद्वारा संलग्न दर अनुसूचियाँ एवं विविध प्रभारों की अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत समस्त वितरण कम्पनियों द्वारा पोषित समस्त उपभोक्ताओं पर प्रभावी होंगी।
- (ख) दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल वितरण कम्पनियों में रेट्ट शिड्यूल में परिभाषित "रेट्ट" के ऊपर दिनांक 31.03.2014 तक 3.71 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज लागू होगा।
- (ग) संशोधित दर सूचियाँ, विविध प्रभारों की अनुसूची एवं रेगुलेटरी सरचार्ज दिनांक 10.06.2013 से प्रभावी होंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिसूचना के लागू होने की तिथि के पश्चात् उपभोक्ताओं द्वारा किया गया विद्युत उपभोग, जो मीटर रीडिंग द्वारा प्रथम बार अंकित किया जाएगा, उपभोग की गयी अवधि के अनुपात में पुराने एवं नये दर के अनुसार बाँट दिया जायेगा।

2. इसके अतिरिक्त समय-समय पर उ0प्र0 शासन एवं/अथवा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित ऐसे प्रभार अथवा अधिभार एवं विद्युत शुल्क के लागू किए जाने के प्रतिबन्धाधीन संशोधित दर सूचियाँ लागू होंगी।
3. पूर्वगत प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित शुल्क दरें, विद्युत सम्पूर्ति शर्तें एवं अन्य विषय, वर्तमान दर अनुसूचियों द्वारा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त वितरण कम्पनियों के साथ हुए वर्तमान अनुबन्धों में यदि कोई हो, विद्यमान दर अनुसूचियों द्वारा तत्कालीन व्यवस्थाओं को दिनांक 10.06.2013 से प्रतिस्थापित करेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

UWW

(संजय अग्रवाल)

अध्यक्ष

उ0प्र0पा0का0लि0,

मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को

3

RATE SCHEDULE LMV- 10

DEPARTMENTAL EMPLOYEES AND PENSIONERS:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply only to such employees (including the cases of retired / voluntary retired or deemed retired) of Licensees / successor entities of erstwhile Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), who own electricity connection in their own name and opt for the same for their own use for light, fan and power for domestic appliances, where the energy is being fed directly from Licensee mains. The Schedule shall also apply to spouse of employees served under Licensees / successor entities of erstwhile UPSEB.

2. RATE:

Un-metered: Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category:

Category	Fixed charge / month	Fixed Monthly Energy Charge
Class IV employees / Operating staff	Rs. 90.00	Rs. 90.00
Class III employees	Rs. 90.00	Rs. 120.00
Junior Engineers & equivalent posts	Rs. 175.00	Rs. 250.00
Assistant Engineers & equivalent posts	Rs. 185.00	Rs. 370.00
Executive Engineers & equivalent posts	Rs. 185.00	Rs. 400.00
Superintending Engineers / Deputy General Managers & equivalent posts	Rs. 425.00	Rs. 490.00
Chief Engineers (I & II) / General Managers and above	Rs. 425.00	Rs. 600.00
Additional charge for employees using Air Conditioners (April to September).	Rs. 500.00 per month per Air conditioner	

Metered: Metered consumers under this category shall be given 50% rebate on rate of charge applicable to "other metered consumers" under LMV-1 category.

3. ELECTRICITY DUTY:

Electricity duty on the above shall be levied in addition at the rates as may be notified by the State Government from time to time.

④

Note: In case of retired / voluntary retired or deemed retired employees, the rate shall be the same as applicable to the post from which he / she has retired.

4. For 'Other Provisions' and 'Mode of Payment' for Departmental Employees refer ANNEXURE-I(A)

Section 23 (7) of Electricity Reforms Act, 1999 provides that "terms and condition of service of the personnel shall not be less favourable to the terms and condition which were applicable to them before the transfer". The same spirit has been echoed under first proviso of section 133 (2) of the Electricity Act, 2003. The benefits for employees / pensioners as provided in section 12 (b) (ii) of the Uttar Pradesh Reform Transfer Scheme, 2000 include "concessional rate of electricity", which means concession in rate of electricity to the extent it is not inferior to what was existing before 14th January, 2000. The rates and charges indicated above for this category are strictly in adherence of above statutory provisions.

5